दूरभाष संख्या 0612.2266558 / 2271092
फैक्स संख्या 0612 2266085
नवोदय विद्यालय समिति
क्षेत्रीय कार्यालय, बोरिंग रोड, पटना – 800013
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का एक स्वायत्त संस्थान)
भारत सरकार

(विद्यालय प्रशासन)
(School Admn.)

Tel. No. 0612 2266558/2271092
Fax 0612 2266085
NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI
Regional Office, Boring Road, Patna – 800013
(An Autonomous Organization under Ministry of Human Resource Development, School Education & Literacy Department)
Govt. of India

F.No.2-2(SA) /Main/NVS (PTR)/2016 | 9626 **Date:-05.10.2016**

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त जवाहर नवोदय विद्यालय
पटना संभाग

विषयः अभिभावकों से धनराशि की उगाही न करने के संबध में।

महोदय / महोदया,

नविस मुख्यालय के पत्रांक एफ 7–6 / 2015 / न.वि.स(वि.प्र0) / 178–188 दिनांक 27.06.2016 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 2893 दिनांक 12.07.2016 द्वारा निर्देशित किया गया था कि अभिभावकों से किसी भी प्रकार की धनराशि की उगाही न की जाये तथा इस संबध में विद्यालय के बेबसाईट पर भी एक सूचना डाली जाये फिर भी कतिपय अभिभावको द्वारा नविस मुख्यालय को शिकायते मिल रही है। इस संबध में नविस मुख्यालय के ईमेल दिनांक 04.10.2016 की प्रति संलग्न करते हुए सूचित करना है कि विद्यालय में पी.टी.सी फंड **(P.T.C Fund)** नही लिया जा रहा है। इस आशय का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को दिनांक 13.10.2016 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि संकलित कर नविस मुख्यालय को भेजा जा सके।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

(मदन पाल)
सहायक आयुक्त (प्रशासन)

विश्वजीत कुमार सिंह, भा.व.से.
आयुक्त
Biswajit Kumar Singh, IFS
Commissioner

नवोदय विद्यालय समिति
Navodaya Vidyalaya Samiti
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
Ministry of Human Resource Development
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)
(Deptt. of School Education & Literacy)
भारत सरकार/Government of India

368
2/7/16

अ.शा.प.सं. 7-6/2015/न.वि.स.(वि.प्रशा.)/178-788
दिनांक 27.06.2016

प्रिय प्राचार्य,

समिति ने परिपत्र दिनांक 28.8.2002 के माध्यम से अभिभावक शिक्षक परिषद के लक्ष्य एवं उदेदश्यों, संधटन तथा कार्यो के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। समिति ने दिनांक 23.07.2015 को एक और परिपत्र इस निर्देश के साथ जारी किया है कि अभिभावकों से किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी पैंसा न लिया जाए। इन स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद भी कुछ अभिभावकों से शिकायतें मिल रही हैं ।

प्राचार्यो को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे अभिभावकों से धनराशि की उगाही में शामिल होने से बचें। किसी भी स्थिति में शिक्षकों, प्राचार्यो और कर्मचारियों द्वारा अभिभावकों से कोई भी धनराशि वसूली/स्वीकार नहीं की जाएगी। रोकड़ काउंटर पर हिंदी / अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषा में लिखा होना चाहिए कि 'विद्यालय शुल्क के अलावा कोषाध्यक्ष (कैशियर) को किसी भी राशि का भुगतान न किया जाए'। आगे, इस संबंध में विद्यालय की वेबसाइट पर भी एक सूचना डाली जाए ।

भवदीय,

(विश्वजीत कुमार सिंह)

प्राचार्य,
सभी जवाहर नवोदय विद्यालय

प्रतिलिपिः

1 सहायक आयुक्त/संकुल प्रभारी सभी संभाग - इस निवेदन के साथ कि अभिभावक -शिक्षक परिषद (पी.टी.सी.) की संरचना, बैठकों का नियमित आयोजन तथा इसकी टिप्पणियों एवं अनुशंसा पर निगरानी रखें। यदि अभिभावकों से धनराशि लेने का कोई भी मामला सामने आता है तो इसके दस्तावेजी साक्ष्यों सहित तत्काल मुख्यालय के संज्ञान में लायें ताकि वांछित आवश्यक कार्रवाई की जा सके ।

2 उपायुक्त, नविस, सभी संभागीय कार्यालय - आवश्यक अनुपालन हेतु ।